

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

लेटर पेटेंट अपील संख्या-1106/2023

में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या -9409/2022

=====

एस.एम. एहतेशामुल हसन रहमानी, पिता- एसएम फजले हसन, निवासी मोहल्ला - पक्की सराय रोड, उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के सामने, चंदवारा, थाना - शहर और जिला - मुजफ्फरपुर।

..... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य के प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से।
2. जिला दंडाधिकारी-सह-समाहर्ता, मुजफ्फरपुर।
3. अनुमंडल अधिकारी, मुजफ्फरपुर।
4. तिरहुत गंडक नहर परियोजना पदाधिकारी, प्रमंडल- मोतीपुर, कैप-मुजफ्फरपुर, जिला- मुजफ्फरपुर।
5. प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड एवं जिला- मुजफ्फरपुर
6. अंचल अधिकारी, पूसा अंचल एवं जिला- समस्तीपुर

..... प्रतिवादी

=====

के साथ

पत्र पेटेंट अपील संख्या-1108/2023

में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या-10637/2021

=====

1. आशीष कुमार, पिता स्वर्गीय कृष्ण देव ठाकुर, निवासी ग्राम व पोस्ट- दुबहा बुजुर्ग, थाना- सकरा, जिला- मुजफ्फरपुर।

2. जय नारायण ठाकुर, पिता- स्वर्गीय बालरूप ठाकुर, निवासी ग्राम व पोस्ट- दुबहा बुजुर्ग, थाना- सकरा, जिला- मुजफ्फरपुर।
3. हरि शंकर शर्मा, पिता- गौरी ठाकुर शर्मा, निवासी ग्राम व पोस्ट- दुबहा बुजुर्ग, थाना- सकरा, जिला- मुजफ्फरपुर।
4. रंजन कुमार शर्मा, पिता- श्री जगरनाथ शर्मा, निवासी ग्राम व पोस्ट- दुबहा बुजुर्ग, थाना- सकरा, जिला- मुजफ्फरपुर।
5. सुशील कुमार झा, पिता स्वर्गीय बैद्यनाथ झा, निवासी ग्राम व पोस्ट- दुबहा बुजुर्ग, थाना- सकरा, जिला- मुजफ्फरपुर।
6. अमित कुमार, पिता ललन प्रसाद शर्मा, निवासी ग्राम- दुबहा बुजुर्ग, थाना-सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर।
7. ऋषिकेश कुमार पिता महेश्वर ठाकुर, निवासी ग्राम- दुबहा बुजुर्ग, थाना-सकरा, जिला- मुजफ्फरपुर।
8. शत्रुघ्न ठाकुर, पिता किशोरी ठाकुर, निवासी, गांव एवं पोस्ट ऑफिस- दुबहा बुजुर्ग, थाना- सकरा, जिला- मुजफ्फरपुर।

..... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य के प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत निदेशक, चकबंदी निदेशालय चतुर्थ तल, भूमि विकास बैंक, बुद्ध मार्ग, पटना।
5. प्रमुख अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
7. अधीक्षण अभियंता, तिरहुत सिंचाई प्रमंडल, रतवारा, मुजफ्फरपुर।
8. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी।
9. कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, मोतीपुर कैम्प मुजफ्फरपुर।

10. जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर।
11. पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर।
12. अनुमण्डल दण्डाधिकारी, पूर्वी-मुजफ्फरपुर।
13. अंचल अधिकारी, मोरौल, मुजफ्फरपुर।
14. अंचल अधिकारी, सकरा मुजफ्फरपुर।
15. थाना प्रभारी, सकरा, मुजफ्फरपुर।

.....प्रतिवादी/ओं

=====

उपस्थिति :

(लेटर पेटेंट अपील संख्या 1106/2023 में)

अपीलकर्ता/ओं की ओर से : श्री मोहम्मद अबू शजर

प्रतिवादी/ओं की ओर से : श्री अंजनी कुमार, एएजी-4

(लेटर पेटेंट अपील संख्या 1108/2023 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री मोहम्मद अबू शजर

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री मोहम्मद खुर्शीद आलम, एएजी-12

=====

विचाराधीन मुद्दा : क्या यह उचित था कि उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं को उनकी चक भूमि/ भूमि धारणाओं से बलात् वंचित करने से रोका जाए और याचिकाकर्ताओं की भूमि पर नहर के निर्माण के कार्य में उत्तरदाताओं को रोका जाए, जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में 1974 में किया गया था।

क्या 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही के स्वीकृत समाप्ति का अपीलकर्ताओं का तर्क उठता है।

निर्णय दिया गया; यहां याचिका दायर करने वाले अपीलकर्ताओं की प्रार्थना कि उत्तरदाताओं को उनके चक भूमि/धारणाओं से बलात् बेदखल करने से रोका जाए और भूमि लौटाई जाए या 2013 अधिनियम के तहत मुआवजा दिया जाए, अदालत के अनुसार, स्पष्ट रूप से भूमि

की स्थापित स्थिति को अस्थिर करने और अन्यायपूर्ण समृद्धि प्राप्त करने का एक प्रयास है, जो कानून के तहत अनुमेय नहीं है।

इस मुद्दे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा इंदौर विकास प्राधिकरण के मामले में सुलझा दिया गया है, जहां माननीय न्यायालय ने कहा कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अधिनियम, 1894 के तहत शुरू की गई कार्यवाही का स्वीकृत समाप्ति केवल तब होती है जब 1894 अधिनियम की धारा 11 के तहत मुआवजा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की शुरुआत से पांच वर्ष या उससे अधिक समय पहले दिया गया हो और अधिग्रहित भूमि का कब्जा न लिया गया हो और मुआवजा न दिया गया हो, ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी की गई हों। [पैराग्राफ -16]

एक बार जब मुआवजा अधिनियम 1894 की धारा 16 के तहत कब्जा लेने पर पारित किया गया है, तो भूमि राज्य में स्थानांतरित हो जाती है। भूमि अधिग्रहण 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के तहत कोई वियोग प्रदान नहीं किया गया है, क्योंकि एक बार जब कब्जा लिया गया है, तो अधिनियम 1894 की धारा 24(2) के तहत कोई शून्यता नहीं होती, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार एनसीटी दिल्ली और अन्य बनाम दयानंद और अन्य (2023) 5 एससीसी 581 के मामले में पहले ही कहा है। [पैराग्राफ -17]

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संतोष शर्मा के मामले में यह निर्णय दिया है कि अधिग्रहण के 35 वर्षों बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया के खिलाफ चुनौती को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड के मामले में यह निर्णय दिया गया कि एक बार जब पुरस्कार पारित हो गया है और कब्जा ले लिया गया है, तो भूमि राज्य में निहित होती है और अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के तहत कोई शून्यता नहीं होती। [पैराग्राफ -22]

क्या अपीलकर्ताओं का यह तर्क वैध है कि कुछ मालिकों ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के बाद वैध पंजीकृत बिक्री विलेखों के माध्यम से अपनी भूमि बेची है और नए भूखंडों के लिए भूमि अधिकार प्रमाण पत्र और किराया रसीदें भी जारी की गई हैं?

निर्णय दिया गया; इसे माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा सही रूप से अस्वीकृत किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शिवकुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2019) 10 SCC 229 के मामले के आदेश के दृष्टिगत, जिसे C.S. गोपालकृष्णन आदि बनाम राज्य तमिलनाडु और अन्य, (2023) 7 SCR 939 के मामले में पुनः पुष्टि की गई।

वहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुरानी भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना के बाद किया गया बिक्री लेनदेन अमान्य है और भूमि के हस्तांतरण के लिए अप्रभावी होगा और ऐसी बिक्री बाद के खरीदारों को अधिकार नहीं देगी, जिसके द्वारा वे कब्जे में होने का दावा कर सकें। यह देखा गया कि ऐसे खरीदार को पुनर्वास का दावा करने या नई भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत भूमि वापस मांगने की अनुमति देना अत्यंत अन्यायपूर्ण और अनुचित होगा और कानून की नीति के खिलाफ होगा।

क्या अपीलकर्ताओं का यह तर्क कि परियोजना की गैर-व्यवहार्यता और इसके परित्याग सही है?

निर्णय दिया गया; नहर के निर्माण कार्य की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। फिर भी, एक बार जब सार्वजनिक हित को सर्वोच्च इक्विटी के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो यह व्यक्तिगत इक्विटी को पार कर जाएगा।

क्या राज्य सरकार द्वारा भूमि रसीद लगान जारी करने से भूमि पर अधिकार उत्पन्न होता है।

निर्णय दिया गया; अपीलकर्ताओं का भूमि रसीदों लगान के आधार पर दावा अपीलकर्ताओं के मामले को बेहतर नहीं बनाता। इसके अलावा, कानून के खिलाफ कोई रोक नहीं है। राज्य अपने अधिकारियों के कार्यों से बाध्य नहीं है, यदि वही उनके अधिकार की शक्ति के बाहर किया गया हो। कोई भी अवैध और बिना अधिकार के किया गया कार्य राज्य सरकार को बाध्य नहीं करता, यह एक स्थापित कानून है।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री न्यायमूर्ति हरीश कुमार

सीएवी निर्णय

(द्वारा : माननीय न्यायमूर्ति हरीश कुमार)

दिनांक : 10-05-2024

पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. दोनों लेटर्स पेटेंट अपील सामान्य निर्णय/आदेश दिनांक 04.09.2023 से उत्पन्न हुई हैं जो इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 10637/2021 और सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या- 9409/2022 में पारित किया गया था और इस तरह पक्षों की सहमति से, उन पर एक साथ सुनवाई की जा रही है और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

3. प्रारंभ में दो रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें से एक सीडब्ल्यूजेसी संख्या- 10637/2021 थी, जिसमें प्रतिवादियों को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना मौजा दुबहा बुजुर्ग में स्थित उनकी चक भूमि/जोत से याचिकाकर्ताओं को जबरन बेदखल करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जैसा कि अनुलग्नक-पी/2 में पूरी तरह से विस्तृत है। दूसरी रिट याचिका सीडब्ल्यूजेसी संख्या 9409/2022 वर्ष 1974 में हुई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के आलोक में प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं की भूमि पर नहर के निर्माण के कार्य से रोकने के लिए दायर की गई है।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश/निर्णय को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कई दलीलें दीं हैं। यह तर्क दिया गया है कि भूमि

अधिग्रहण की कार्यवाही वर्ष 1972-73 में शुरू की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं और दुबहा बुजुर्ग गांव के अन्य लोगों की भूमि का वास्तविक भौतिक कब्जा नहीं लिया गया था। वे अपनी रैयती भूमि पर वास्तविक भौतिक कब्जे में बने रहे। यह तथ्य इस कारण से भी पुष्ट होता है कि बिहार सरकार ने प्रश्नगत भूमि का लगान स्वीकार किया था तथा उसके बदले में लगान रसीद भी जारी की थी। अपीलकर्ता बिहार चकबंदी और विखंडन निवारण अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'चकबंदी अधिनियम, 1956' कहा जाएगा) की योजना पर भी भरोसा करते हैं। चकबंदी की कार्यवाही की गई थी, जो वर्ष 1979 में चकबंदी अधिनियम, 1956 की धारा 26 ए के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद बंद हो गया था। इस प्रकार, इस संबंध में एक गंभीर विवाद है, क्योंकि वर्ष 1973-74 में अपीलकर्ताओं की भूमि के तथाकथित अधिग्रहण के बाद नए नक्शे जारी होने और अभिलेख तैयार होने के बाद उनकी पहचान हो गई, जिससे भूमि के स्वरूप में परिवर्तन हुआ।

5. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी राज्य ने वर्ष 1972-73 में भूमि अधिग्रहण को दर्शाने वाले अभिलेख प्रस्तुत किए हैं, लेकिन चकबंदी नक्शा खतियान के आधार पर रैयतों को कोई भुगतान या किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं दिया गया है। अपीलकर्ताओं के पास चकबंदी अधिनियम, 1956 की धारा 14 के तहत फॉर्म 15 में हस्तांतरण का प्रमाण पत्र है, जो भूमि के संबंध में अपीलकर्ताओं के शीर्षक और कब्जे का निर्णायक सबूत है। यह भी आग्रह किया गया है कि प्रभावित क्षेत्र के लोगों को भी वैध पंजीकृत बिक्री विलेखों के माध्यम से उनकी जमीनें हस्तांतरित की गई थीं। अपीलकर्ताओं का तर्क है कि उनके पास भूमि कब्जा प्रमाण पत्र भी है और नए भूखंडों के लिए भूमि रसीदें भी जारी की गई हैं।

6. अपीलकर्ताओं का यह भी तर्क था कि रिट याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता और उनके पूर्वज पिछले 50 वर्षों से विचाराधीन भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जे में रहे हैं। यह मानते

हुए भी कि भूमि का अधिग्रहण किया गया था और राज्य सरकार द्वारा कब्जा लिया गया था, यह केवल एक कागजी कार्रवाई थी, क्योंकि राज्य सरकार ने लगान रसीद जारी करके प्रश्नगत भूमि पर चकबंदी अधिनियम के तहत चकबंदी की कार्रवाई का संचालन करके, उनके सभी अधिकारों को माफ कर दिया उपर्युक्त तथ्यों के अनुसार, भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे आगे 'अधिनियम, 2013' कहा जाएगा) की धारा 24(2) के अंतर्गत समाप्त हो जाती है। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है, जब नहर के निर्माण के लिए गंडक परियोजना को व्यवहार्य नहीं पाया गया और इसे रद्द कर दिया गया। निर्माण कार्य के बीच में बहुत पहले छोड़ दिया गया था।

7. श्री अब्बू हैदर, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अपील के तहत निर्णय का हवाला देते हुए जोरदार ढंग से तर्क दिया है कि इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष अभिलेख से परे हैं कि सभी रैयतों को पूर्ण मुआवजा दिया गया था और उनमें से कुछ को सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर बढ़ा हुआ मुआवजा मिला है जब मामला भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 18 के तहत भेजा गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश यह समझने में विफल रहे कि एक बार राज्य ने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता अतिक्रमणकारी हैं और उन्हें बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करके बेदखल किया जाना चाहिए, लेकिन कभी भी इस तरह की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। किसी भी दृष्टिकोण से, मामले को देखते हुए, राज्य ने स्वयं स्वीकार किया कि 1973-74 की भूमि अधिग्रहण कार्यवाही वर्ष 1985 में बंद कर दी गई थी और उसके बाद कुछ भी नहीं किया गया, अपीलकर्ताओं का तर्क था कि तब से अपीलकर्ता, प्रश्नगत भूमि पर निरंतर और निर्बाध कब्जे में हैं।

8. दूसरी ओर, बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान महाधिवक्ता ने अपीलकर्ताओं के तर्कों का विरोध करते हुए परियोजना, अर्थात् तिरहुत नहर परियोजना / गंडक परियोजना के महत्व पर प्रकाश डाला। इस परियोजना में 1.46 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता है और परियोजना 1.22 लाख हेक्टेयर शेष सीसीए को कवर करेगी। परियोजना सार्वजनिक महत्व की है जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधान के अंतर्गत अधिसूचना संख्या के आधार पर अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई थी 115 दिनांक 31.01.1973 अधिसूचना संख्या 1141 दिनांक 04.09.1973 का घोषणा पत्र बिहार राजपत्र दिनांक 05.12.1973 में प्रकाशित किया गया तथा दिनांक 13.07.1974 को पुरस्कार तैयार किए गए। लगभग सभी रैयतों को जुलाई-अगस्त, 1974 के महीने में पूर्ण मुआवजा राशि का भुगतान किया गया। अधिग्रहित भूमि का कब्जा 13.08.1974 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रपत्र 17 के तहत लिया गया, जिसकी प्रतियां रिट याचिका में जवाबी हलफनामा दायर करके रिकॉर्ड में रखी गई हैं। भुगतान वाउचर और भूमि कब्जे के प्रमाण पत्र भी सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 9409/2022 में जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक-ए और बी के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।

9. विद्वान महाधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं के पूर्वजों और कुछ मामलों में, अपीलकर्ताओं को पहले ही उनकी संबंधित भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजा मिल चुका है। अपीलकर्ताओं और प्रभावित व्यक्तियों के पूर्वजों, जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई थी, ने कभी कोई शिकायत नहीं की है। प्रश्नगत भूमि के अधिग्रहण के 50 वर्ष बाद, अप्रत्यक्ष कारणों से रिट याचिकाएँ दायर की गई हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि समान शिकायत वाले कुछ व्यक्तियों ने सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 77/2014 में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को फिर से खोलने के लिए प्रार्थना के साथ इस न्यायालय का

दरवाजा खटखटाया है। इसी तरह की प्रार्थना की गई कि सरकार द्वारा भूमि का कब्जा कभी नहीं लिया गया है और अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के अनुसार कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और अधिग्रहित भूमि का आज तक उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए अधिग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सभी पहलुओं पर विचार किया तथा उक्त मामले के याचिकाकर्ताओं के दावे को अस्वीकार कर दिया।

10. एक अन्य मामले में, कुछ व्यक्तियों ने सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या-4075/2017 में इसी प्रकार का मुद्दा उठाते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसे भी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब्जा लेने और भूमि मालिक को मुआवजे का भुगतान करने के बाद अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी हो जाती है, तो पुराने अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के मद्देनजर अधिग्रहित भूमि राज्य में निहित हो जाती है।

11. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतीकरण का प्रतिवाद करते हुए यह तर्क दिया गया कि चकबंदी कार्यवाही के कारण, विचाराधीन भूमि को एक नए चक खाते के रूप में समेकित किया गया है, जो कार्यवाही भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के बाद वर्ष 1979 में पटना उच्च न्यायालय एल.पी.ए. संख्या- 1106/2023, दिनांक 10-05-2024 को समाप्त हो गई। उसके बाद कभी भी भूमि पर कब्जा नहीं लिया गया। विद्वान महाधिवक्ता ने अंत में कहा कि प्रस्तुतीकरण के अनुसार भी, चकबंदी कार्यवाही के अंतिम प्रकाशन से बहुत पहले भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है, इससे पहले से किए गए अधिग्रहण पर कोई रोक नहीं होगी, खासकर, जब कब्जा ले लिया गया हो, पुरस्कार प्रकाशित हो गया हो और अधिकांश भूमि मालिकों द्वारा पुरस्कार राशि प्राप्त कर ली गई हो। इसके अलावा, अधिग्रहण कार्यवाही के बारे में अपीलकर्ताओं या उनके पूर्वजों द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी।

47-48 वर्ष बीत जाने के बाद, रिट याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता यहां पर दुर्भावनापूर्ण इरादे से तय अधिग्रहण कार्यवाही को अस्थिर करने के उद्देश्य से सवाल उठा रहे हैं।

12. विद्वान महाधिवक्ता ने अपीलकर्ताओं के तर्क को खारिज करने के लिए संतोष शर्मा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2013) 15 एससीसी 563, आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम चिंतामनेनी नरसिम्हा राव, (2012) 12 एससीसी 797 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा रखा और आगे इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल एवं अन्य, (2020) 8 एससीसी 129 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया।

13. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का भी अवलोकन किया है।

14. इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता उन भूमियों पर कब्जा जारी रखने के हकदार हैं, जो कई वर्ष पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी हैं, इस तर्क पर कि वास्तविक भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है। यह न्यायालय पाता है कि बेशक भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही वर्ष 1972-73 में विभिन्न भूमि अधिग्रहण मामलों के माध्यम से शुरू की गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिलेखों के सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद निष्कर्ष निकाला कि अधिसूचना की घोषणा 05.12.1973 को बिहार राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और 13.07.1974 को पुरस्कार तैयार किए गए थे। सभी रैयतों को वर्ष 1974 में ही पूर्ण मुआवजा राशि का भुगतान किया गया था। उनमें से कुछ को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 18 के अनुसार बढ़ा हुआ मुआवजा दिया गया है।

15. अधिग्रहित भूमि का कब्ज़ा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के फॉर्म 17 के तहत 13.08.1974 को लिया गया था, जो कि सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10637/2021 में प्रति-हलफ़नामे का हिस्सा है, जैसा कि अनुलग्नक-ए श्रृंखला में निहित है। भुगतान वाउचर और भूमि कब्ज़ा प्रमाण पत्र भी पटना उच्च न्यायालय एलपीए संख्या 1106/2023 दिनांक 10-05-2024 के सीडब्ल्यूजेसी संख्या 9409/2022 में प्रति-हलफ़नामे के अनुलग्नक-ए और बी के रूप में संलग्न हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश का निष्कर्ष दस्तावेज़ी साक्ष्य पर आधारित है, जिसे रिट याचिकाकर्ता-अपीलकर्ताओं द्वारा इस तरह के आकस्मिक और लापरवाह तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता है।

16. उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत शुरू की गई कार्यवाही की कथित समाप्ति के बारे में अपीलकर्ताओं का तर्क नहीं उठता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने [इंदौर विकास प्राधिकरण](#) (उपरोक्त) के मामले में इस मुद्दे को समाप्त कर दिया है, जहां माननीय न्यायालय ने माना है कि भूमि अधिग्रहण कार्यवाही अधिनियम, 1894 के तहत शुरू की गई कार्यवाही की कथित समाप्ति तभी होती है जब अधिनियम, 2013 के लागू होने से पांच साल या उससे अधिक पहले 1894 अधिनियम की धारा 11 के तहत पुरस्कार दिया गया हो और अधिग्रहित भूमि पर कब्ज़ा न लिए जाने और मुआवजा न दिए जाने की दो शर्तें संचयी रूप से पूरी हो गई हों। यदि इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो 1894 अधिनियम के तहत अधिग्रहण कार्यवाही समाप्त नहीं होगी।

17. यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि 1894 अधिनियम के तहत कब्ज़ा लेने का तरीका धारा 24(2) के तहत परिकल्पित है, 1894 अधिनियम की धारा 16 के तहत कब्ज़ा लेने पर एक बार पुरस्कार पारित हो जाने के बाद, भूमि राज्य में निहित हो

जाती है। 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के तहत कोई विनिवेश प्रदान नहीं किया गया है, क्योंकि एक बार कब्ज़ा ले लिया गया है, तो अधिनियम, 1894 की [धारा 24\(2\)](#) के तहत कोई चूक नहीं होती है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने [एनसीटी दिल्ली सरकार और अन्य बनाम दयानंद और अन्य \(2023\) 5 एससीसी 581](#) के मामले में पहले ही माना है।

18. परियोजना की गैर-व्यवहार्यता और इसके परित्याग के बारे में अपीलकर्ताओं की दलीलें बिहार राज्य के इस तर्क के मद्देनजर टिकने लायक नहीं हैं कि परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए नहर का निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है जिसके लिए बिहार सरकार ने 23.09.2020 को रियायतकर्ता के साथ समझौता कर लिया है और यह काम चल रहा है। अन्यथा भी, एक बार जब सार्वजनिक हित को श्रेष्ठ इक्विटी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह व्यक्तिगत इक्विटी को दरकिनार कर देगा।

19. यह बात सर्वविदित है कि राज्य सरकार द्वारा किराया स्वीकार करना या किराया रसीद जारी करना भूमि पर अधिकार नहीं बनाता है। इस प्रकार, किराया रसीदों के आधार पर अपीलकर्ताओं का दावा अपीलकर्ताओं के मामले को बेहतर नहीं बनाता है। इसके अलावा, कानून के खिलाफ कोई रोक नहीं है। राज्य अपने अधिकारियों के कार्यों से बाध्य नहीं है, अगर उन्होंने अपने अधिकार या सार्वजनिक प्राधिकरण की शक्ति के बाहर ऐसा किया है। अनधिकृत रूप से और अधिकार क्षेत्र के बिना किया गया कोई भी कार्य राज्य सरकार को बाध्य नहीं करता है, यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है।

20. यह न्यायालय इस तथ्य से भी अनभिज्ञ नहीं है कि समान स्थिति वाले विभिन्न व्यक्तियों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष विभिन्न रिट याचिकाओं में समान मुद्दे उठाए गए हैं, जिन्हें खारिज कर दिया गया तथा उस निर्णय/आदेश पर सवाल नहीं उठाया गया।

21. विद्वान महाधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे इस सिद्धांत को सामने लाते हैं कि समय बीत जाने के बाद किया गया दावा समाप्त हो चुकी कार्यवाही को पुनः नहीं खोलता है, न ही भूमि मालिकों को पहले से समाप्त हो चुकी कार्यवाही को पुनः खोलने के लिए कब्जा लेने के तरीके की वैधता पर प्रश्न उठाने की अनुमति देता है।

22. इसी तरह की स्थिति में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने [संतोष शर्मा](#) (उपरोक्त) के मामले में माना है कि अधिग्रहण के 35 साल बाद अधिग्रहण की कार्यवाही के खिलाफ चुनौती स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं था। इसके अलावा [आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड](#) (उपरोक्त) के मामले में यह माना गया कि एक बार जब कोई पुरस्कार पारित हो जाता है और कब्जा ले लिया जाता है, तो भूमि पटना उच्च न्यायालय के एलपीए संख्या 1106/2023 दिनांक 10-05-2024 के तहत राज्य में निहित हो जाती है और अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के तहत कोई चूक नहीं हुई है।

23. अपीलकर्ताओं का यह तर्क कि कुछ मालिकों ने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के बाद वैध पंजीकृत बिक्री विलेखों के माध्यम से अपनी जमीनें बेच दी हैं और उन्हें नए भूखंडों के लिए भूमि कब्जा प्रमाण पत्र और किराये की रसीदें भी जारी कर दी गई हैं, इस न्यायालय की राय में कोई योग्यता नहीं रखता है, जिसे **शिवकुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2019) 10 एससीसी 229** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही रूप से खारिज कर दिया है, जिसकी पुष्टि सीएस गोपालकृष्णन इत्यादि बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य, (2023) 7 एससीआर 939 के मामले में की गई है। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि पुराने [भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4](#) के तहत अधिसूचना के बाद किया

गया लेनदेन शून्य है और भूमि को हस्तांतरित करने के लिए अप्रभावी होगा और ऐसी बिक्री बाद के खरीदारों को शीर्षक नहीं देगी, जिससे वे कब्जे का दावा कर सकें। यह देखा गया कि नए [भूमि अधिग्रहण अधिनियम](#) के तहत परिकल्पित पुनर्वास या भूमि वापस लेने का दावा करने के लिए ऐसे खरीदार को अनुमति देना बेहद अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा और कानून की नीति के खिलाफ होगा।

24. विद्वान एक न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया, विवादित निर्णय और आदेश किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्णता, अवैधता और अनौचित्य से ग्रस्त नहीं है।

25. रिट याचिकाकर्ताओं-अपीलकर्ताओं द्वारा प्रतिवादियों को उनकी चक भूमि/जोत से जबरन बेदखल करने से रोकने तथा भूमि वापस करने या 2013 अधिनियम के तहत मुआवजा देने की प्रार्थना, इस न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय में, भूमि की स्थापित स्थिति को अस्थिर करने और अनुचित संवर्धन प्राप्त करने की एक चाल है, जो कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है।

26. उपरोक्त तर्क के मद्देनजर, दोनों लेटर्स पेटेंट अपीलें विफल हो जाती हैं और तदनुसार, खारिज की जाती हैं। पार्टियों को अपनी लागत खुद वहन करनी होगी।

(माननीय न्यायमूर्ति हरीश कुमार)

के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश, मैं सहमत हूँ।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

उदय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।